न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

0नं0 – 73/2026

नवान : –

1. सीताराम पुत्र स्व0 ताराचन्द जाति जाट निवासी चक 4 आरपी डबली कंला त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. घापी पत्नी स्व0 ताराचन्द जाति जाट निवासी चक 4 आरपी डबली कलां त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मंजू पुत्री स्व0 ताराचंद पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी बोझला त0 भादरा जिला हनुमानगढ।
3. सुनीता देवी पुत्री स्व0 ताराचन्द पत्नी बलराज जातिजाट निवासी बोझला त0 भादरा जिला हनुमानगढ।
4. स्नेहा पुत्री स्व0 पालाराम नाबालिग आयू 17 वर्ष माता स्व0 राजबाला पुत्री स्व0 ताराचंद जाति जाट निवासी बोझला त0 भादरा जरिये कुदरती वली सरंक्षक नानी घापी पत्नी स्व0 लालचंद जाति जाट निवासी चक 4 आरपी डबलीकंला त0 टिब्बी।
5. योगेश पुत्र स्व0 पालाराम नाबालिग आयू 17 वर्ष माता स्व0 राजबाला पुत्री स्व0 ताराचंद जाति जाट निवासी बोझला त0 भादरा जरिये कुदरती वली सरंक्षक नानी घापी पत्नी स्व0 लालचंद जाति जाट निवासी चक 4 आरपी डबलीकंला त0 टिब्बी।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88–53 आरटीए
श्री संदीप कस्वां वादीगण
श्री रायसिंह भाकर प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 28/5/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीया सं0 2 व 3 के पिता, प्रतिवादीया सं० 1 के पति, प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 के नाना, ताराचन्द पुत्र लेखराम के नाम से चकनं0 4 एम.एस. टी.एस.एम. रहित के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 32/30 में कुल 1.0360 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि तथा चकनं० 2 आरपी सीएडी सहित के खाता सं0 103/30 में कुल 0.8760 है० कमाण्ड आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयाँ संलग्न वाद पत्र है । वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के पिता ताराचन्द के नाम से है तथा ताराचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बटवारां हो गया था व बटवारां में प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 ने वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी मे से अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी वादी के पक्ष में मौखिक रुप से हक त्याग कर दिया था व कोई हिस्सा नही लेना चाहती । वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज दोनो चको की आराजी में से प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 की माता राजबाला का 1\5 हिस्सा यानि कुल 0.382 है० आराजी का हक व हिस्सा बनता है । वादी व प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 को बटंवारा में प्राप्त आराजी निम्न प्रकार से है:– क. वादी सीताराम को प्राप्त आराजी:– चकनं0 4 एम. एस. टी. एस. एम. रहित के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 32/30 में ताराचन्द के नाम की कुल 1.0360 है0 मे से 0.654 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि तथा चकनं0 2 आरपी सीएडी सहित के खाता सं0 103/30 में कुल 0.8760 है0 कमाण्ड कृषि भूमि ख. प्रतिवादीगण सं0 4 स्नेहा व प्रतिवादी सं0 5 योगेश को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:– चकनं0 4 एम.एस.टी. एस. एम. रहित के जमाबन्दी

संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 32/30 में ताराचन्द के नाम की कुल 1.0360 है0 मे से 0.382 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार वादी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाता चला आ रहा है लेकिन वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से तथा खाता हाजों में ताराचन्द का नाम दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हननं होता है व वादी अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहता है। इसलिए वादी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार वादी अपनी आराजी का खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 4 एम. एस. टी. एस. एम. रहित के खाता सं0 32/30 व चकनं0 2 आरपी सीएडी सहित के खाता सं0 103/30 में से ताराचन्द पुत्र लेखराम का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है । वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 4 मे " दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे व आज से तीन रोज पूर्व ग्राम 4 आरपी डबलीकंला में कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है । प्रतिवादी सं0 4 व 5 की माता राजाबाला, पिता पालाराम तथा उनके दादा–दादी का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रतिवादीय सं0 1 घापी ही प्रतिवादीगण सं० 4 व 5 की कुदरती वली संरक्षक है । वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है । लिहाजा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–क.कि घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार वादी अपनी आराजी का खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 4 एम. एस.टी.एस.एम. रहित के खाता सं0 32/30 व चकनं0 2 आरपी सीएडी सहित के खाता सं0 103/30 में से ताराचन्द पुत्र लेखराम का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के पिता ताराचन्द के नाम से है तथा ताराचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी व हम प्रतिवादीगण के मध्य आपस में घरू बटवारां हो गया था व बटवारां में हम प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 ने वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी मे से अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी वादी के पक्ष में मौखिक रुप से हक त्याग कर दिया था व कोई हिस्सा नही लेना चाहती। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज दोनो चको की आराजी में से प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 की माता राजबाला का 1/ 5 हिस्सा यानि कुल 0.382 है० आराजी का हक व हिस्सा बनता है । वादी व प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 को बटंवारा में प्राप्त आराजी निम्न प्रकार से हैः– क. वादी सीताराम को प्राप्त आराजीः– चकनं0 4 एम. एस. टी. एस. एम. रहित के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 32/30 में ताराचन्द के नाम की कुल 1.0360 है0 मे से 0.654 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि तथा चकनं० 2 आरपी सीएडी सहित के खाता सं0 103/30 में कुल 0.8760 है0 कमाण्ड कृषि भूमि ख. प्रतिवादीगण सं0 4 स्नेहा व प्रतिवादी सं0 5 योगेश को ब०हि०ब० प्राप्त आराजीः– चकनं0 4 एम.एस.टी. एस. एम. रहित के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 32/30 में ताराचन्द के नाम की कुल 1.0360 है0 मे से 0.382 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि वादपत्र की दफा 5 में दर्ज तथ्य

स्वीकार है । वाद पत्र की दफा 4 में दर्ज बटवारां के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है इसलिए वाद पत्र की दफा 4 मे दर्ज बटवारां के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं० 4 व 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 4 एम.एस.टी. एस. एम. रहित के खाता सं0 32/30 व चकनं० 2 आरपी सीएडी सहित के खाता सं0 103/30 में से ताराचन्द पुत्र लेखराम का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस मे राजीनामा हो गया है। हम प्रतिवादीगण राजीनामा से पूर्णतया सहमत है ।

साक्ष्य वादी में वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी चक 4 एमएसटीएसएम रहित प्रदर्श 1, खाता सं0 103/30 प्रदर्श 2, मृत्यु प्रमाण पत्र ताराचंद प्रदर्श 3ए, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4ए, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 करवायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि के संबंध में मुताबिक जवाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वादीगण ने अपने वाद पत्र में वर्णित आराजी में अपने हकों की घोषणा हेतु निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन कर मुताबिक दस्तावेज एंव जवाब दावा वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं घोषणा की जाती है कि चक 4 एमएसटीएसएम रहित के खाता सं0 32/30 की 1.036है. व चक 2 आरपी सीएडी सहित के खाता सं0 103/30 की 0.876है. में वादी व प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है – क. वादी सीताराम को प्राप्त आराजी:– चकनं0 4 एम. एस. टी. एस. एम. रहित के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 32/30 में ताराचन्द के नाम की कुल 1.0360 है0 मे से 0.654 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि तथा चकनं० 2 आरपी सीएडी सहित के खाता सं0 103/30 में कुल 0.8760 है0 कमाण्ड कृषि भूमि ख. प्रतिवादीगण सं0 4 स्नेहा व प्रतिवादी सं0 5 योगेश को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:– चकनं0 4 एम.एस.टी. एस. एम. रहित के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 32/30 में ताराचन्द के नाम की कुल 1.0360 है0 मे से 0.382 है0। इसी अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में से ताराचन्द पुत्र लेखराम का नाम कलमजन किया जाकर यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/4/24 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 73/2026

अनवान : –

1. सीताराम पुत्र स्व0 ताराचन्द जाति जाट निवासी चक 4 आरपी डबली कंला त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. घापी पत्नी स्व0 ताराचन्द जाति जाट निवासी चक 4 आरपी डबली कलां त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मंजू पुत्री स्व0 ताराचंद पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी बोझला त0 भादरा जिला हनुमानगढ।
3. सुनीता देवी पुत्री स्व0 ताराचन्द पत्नी बलराज जातिजाट निवासी बोझला त0 भादरा जिला हनुमानगढ।
4. स्नेहा पुत्री स्व0 पालाराम नाबालिग आयू 17 वर्ष माता स्व0 राजबाला पुत्री स्व0 ताराचंद जाति जाट निवासी बोझला त0 भादरा जरिये कुदरती वली सरंक्षक नानी घापी पत्नी स्व0 लालचंद जाति जाट निवासी चक 4 आरपी डबलीकंला त0 टिब्बी।
5. योगेश पुत्र स्व0 पालाराम नाबालिग आयू 17 वर्ष माता स्व0 राजबाला पुत्री स्व0 ताराचंद जाति जाट निवासी बोझला त0 भादरा जरिये कुदरती वली सरंक्षक नानी घापी पत्नी स्व0 लालचंद जाति जाट निवासी चक 4 आरपी डबलीकंला त0 टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी संदीप कस्वां व रायसिंह भाकर अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 4 एमएसटीएसएम रहित के खाता सं0 32/30 की 1.036है. व चक 2 आरपी सीएडी सहित के खाता सं0 103/30 की 0.876है. में वादी व प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है – क. वादी सीताराम को प्राप्त आराजी:– चकनं0 4 एम. एस. टी. एस. एम. रहित के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 32/30 में ताराचन्द के नाम की कुल 1.0360 है0 मे से 0.654 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि तथा चकनं० 2 आरपी सीएडी सहित के खाता सं0 103/30 में कुल 0.8760 है0 कमाण्ड कृषि भूमि ख. प्रतिवादीगण सं0 4 स्नेहा व प्रतिवादी सं0 5 योगेश को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:– चकनं0 4 एम.एस.टी. एस. एम. रहित के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 32/30 में ताराचन्द के नाम की कुल 1.0360 है0 मे से 0.382 है0। इसी अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में से ताराचन्द पुत्र लेखराम का नाम कलमजन किया जाकर यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 28/4/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

(सत्यनारायण) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़